भारत सरकार

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

https://prgi.gov.in

दिनांक: 22.05.2026

2026 की परामर्शिका सं009

विषय : प्रेस सेवा पोर्टल पर नवीन संस्करण तथा नवीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदनों के सही वर्गीकरण के संबंध में परामर्शिका।

यह देखा गया है कि अनेक प्रकाशक, जो अपनी पूर्व में रजिस्ट्रीकृत नियतकालिक पत्रिकाओं के नवीन संस्करण प्रारंभ करने के इच्छुक हैं, प्रेस सेवा पोर्टल पर गलत रजिस्ट्रीकरण श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. इस संबंध में, सभी प्रकाशकों की जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि **नवीन संस्करण** तथा **नवीन रजिस्ट्रीकरण** श्रेणियों के अंतर्गत आवेदनों पर कार्यवाही हेतु मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

(i) आप पूर्व में रजिस्ट्रीकृत शीर्षक के नवीन संस्करण हेतु आवेदन कर सकते हैं :

(क) यदि प्रस्तावित नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन किसी नए स्थान से किया जाना है, किन्तु **वह विद्यमान नियतकालिक पत्रिका के समान राज्य में हो तथा उसके प्रकाशन की आवर्तिता** भी विद्यमान नियतकालिक पत्रिका के समान हो।

(ii) आप नवीन रजिस्ट्रीकरण श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं :

(क) यदि प्रस्तावित नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन किसी **नई भाषा** में किया जाना है (विद्यमान नियतकालिक पत्रिका की भाषा से भिन्न भाषा में)।

(ख) यदि प्रस्तावित नियतकालिक पत्रिका का प्रकाशन किसी **नए राज्य** से किया जाना है (विद्यमान नियतकालिक पत्रिका के राज्य से भिन्न राज्य में)।

(ग) यदि प्रस्तावित नियतकालिक पत्रिका की प्रकाशन **आवृत्ति नई** हो (विद्यमान नियतकालिक पत्रिका की प्रकाशन आवृत्ति से भिन्न)।

3. तदनुसार, सभी प्रकाशकों को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उपर्युक्त मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करें।

यह परामर्शिका प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी की जाती है।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

(रत्नाकर पामुला)

उप प्रेस महापंजीयक